



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-138/MH/29/2021-RO-BH

दिनांक: 05.06.2026

मुख्य सचिव,  
महाराष्ट्र शासन,  
सीएस कार्यालय, मुख्य भवन,  
मंत्रालय, 6वीं मंजिल, मैडम कामा रोड,  
मुंबई, महाराष्ट्र- 400032  
ई-मेल: chiefsecretary@maharashtra.gov.in

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,  
जिला-जलगांव,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
जलगांव-425001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: collector.jalgaon@maharashtra.gov.in

विषय: वर्षों से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में श्री एकनाथ रमेश कोली, गांव-उन्नाण, तहसील-एरंडोल, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र का दिनांक 08.09.2021 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.12.2021 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 15.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने का कष्ट करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)  
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एकनाथ रमेश कोली,  
गांव-उन्नाण, तहसील-एरंडोल,  
जिला-जलगांव, महाराष्ट्र  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु  
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते  
भारत सरकार

Government Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising power of Civil Courts under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

कमरा न.309, निर्माण सदन, सी जी ओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, ईमेल:ro-bhopal@ncst.nic.in, फोन न.:0755 2576530,0755 2578272

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-138/MH/29/2021-RO-BH

दिनांक: 08/12/2021

सेवा में,

10

1. मुख्य सचिव  
महाराष्ट्र शासन,  
मंत्रालय, मदाम कामा रोड,  
हुतात्मा, राजगुरु चौराहा,  
नरिमन पॉइंट  
मुंबई -400032 (महाराष्ट्र)

2. कलेक्टर  
कलेक्टर कार्यालय  
जलगांव -425001 (महाराष्ट्र)

विषय: श्री एकनाथ रमेश कोली, गांव उत्राण (अ.ह.), तहसील एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) – वर्षों से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री एकनाथ रमेश कोली से दिनांक 08/09/2021 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

डी. (एम)

(दीपिका खन्ना)

अनुसंधान अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री एकनाथ रमेश कोली  
गांव उत्राण (अ.ह.), तहसील एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र)  
Mob No- 9503810540

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित  
जनजाति आयोग भोपाल  
Office of the Director, National  
Commission for Sch. Tribes, Bhopal  
प्रेषण संख्या / Issue No. 2922, 2923, 2924  
दिनांक / Date 10/12/21